



भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution

Government of India

पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

हमारा संदर्भ : सी एम/एल- 5900106736

दिनांक: 23.06.2023

विषय:आईएस IS 513 : PART 1 : 2016 के अनुरूप भा.मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल 5900106736 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

मैसर्स एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

M/s APL Apollo Building Products Private Limited

गांव- रिंगनी-केसदा, खसरा नंबर 16,17,18,19,38,39, बलौदा बाजार,

छत्तीसगढ़- 493114,

महोदय,

1.आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लि गया है:

उत्पाद : COLD REDUCED CARBON STEEL SHEET AND STRIP PART 1 COLD FORMING AND DRAWING PURPOSES

आईएस : IS 513 : PART 1 : 2016

टाइप/ साइज़/ ग्रेड/ किस्म

Grade: CR2 , CR3 ,CR4 , CR5, Surface Finish: As Rolled, Trimmed Edges, Temper Designation: Skin Passed,Annealed Surface Condition Dull Finish, Bright Finish, Width From 100mm up to and including 1440mm, Thickness from 0.18mm up to and including 2.00mm

Grade: CR1 Surface Finish: As Rolled, Trimmed Edges, Temper Designation: Full Hard, Half Hard, Quarter Hard, 1/8 Hard, Annealed, Skin Passed, Surface Condition Dull Finish, Bright Finish, Width From 100mm up to and including 1440mm, Thickness from 0.18mm up to and including 2.00mm

Grade: CR0 Surface Finish: As Rolled, Trimmed Edges, Temper Designation: Full Hard Surface Condition Dull Finish, Bright Finish, Width From 100mm up to and including 1440mm, Thickness from 0.18mm up to and including 2.00mm

2.आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त उत्पादन पर मानक मुहर लगाएंगे।

3. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस को निर्दिष्ट संख्या CM/L- 5900106736 है जिसे 09.05.2023 से लागू है और यह 08.05.2024 तक वैध है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

मानकालय, प्लॉट नं. 13-सी, सेक्टर-24, अटल नगर-नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492101
Manakalaya, Plot No. 13-C Section 24, Atal-Nagar Nava Raipur Chhattisgarh - 492101
दूरभाष / Tel. : 0771-2419404, 2412235, फैक्स / Fax : 0771-2419404
वेब / Web : www.bis.gov.in ई-मेल / E-mail : rpbo@bis.gov.in
पैन / PAN : AAATB0431G, GSTN No. : 22AAATB0431G1ZL

मुख्यालय : मानक भवन,9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Headquarters: Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष / Tel: 23230131, 23233375, 23239402
ई-मेल / e-mail: info@bis.gov.in वेबसाइट / Website: www.bis.gov.in

"for detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in) / Please use BIS CARE APP for verification of ISI-marked goods and Hallmarked Gold Jewellery"

4. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के अन्विसुची 2 में दिए गए स्कीम 1 के पारा 5 अंतर्गत सबपारा (1) और (3) के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 1000/- एवं भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के स्कीम 1 के उपाबंध 1 में दिये गये वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक-09.05.2023 से आपके द्वारा देय होगा |

जीएसटी, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा

5. आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं । लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी **रशीद संख्या-AA59PC2023000026 दिनांक-10.04.2023** मानक ऑनलाइन के द्वारा भेजा जा चुकी है।
6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।
8. आपके द्वारा पहले ही स्वीकृत निरीक्षण एवं परीक्षण योजना(एस टी आई) का आपके संगठन द्वारा पूर्णतः एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अतः उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेषण करनी होगी।
9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।
10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिंगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहेड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहेड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।
11. यह लाइसेंस गांव- **रिंगनी-केसदा, खसरा नंबर 16,17,18,19,38,39, बलौदा बाजार,छत्तीसगढ़- 493114**, में स्थित कारखाने के लिए प्रदान किया गया है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकार किसी अन्य फर्म कंपनी / कारखाने आदि द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह लाइसेंस घटना में हस्तांतरणीय नहीं है अनुज्ञापित परिसर से किसी अन्य स्थान पर निर्माण और परीक्षण उपकरण को स्थानांतरित करने के लिए मानक चिह्न का उपयोग तब तक बंद रहेगा जब तक नए परिसर का निरीक्षण नहीं किया जाता है और वहां उपलब्ध विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में हमारे द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है और पता लाइसेंस में नए परिसर का समर्थन किया गया है।

12. आपकी फैक्ट्री के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूने/नमूनों की जाँच रिपोर्ट (टों) की एक प्रति/प्रतियाँ आपके रिकार्ड के लिए संलग्न है।
13. आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहते हैं यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिया गया है कि लाइसेंस प्रदान करने से पहले निरीक्षण के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आहरण किए गए नमूने (नमूने की आहरण की तिथि) अगर भारतीय मानक ब्यूरो के आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पायी जाती हैं तो लाइसेंस को निलंबन में रखा जायेगा और अगर एक माह के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नए नमूने परीक्षण के लिए पेश नहीं किया जाता है अथवा नए नमूने परीक्षण में विफल हो जाते हैं तो लाइसेंस को निरस्त करने के कार्रवाई की जाएगी। (विकल्प 2 में प्रदान किए जा रहे लाइसेंस के लिए लागू)
14. अनुज्ञप्ति दस्तावेज साथ में संलग्न है।
15. बीआईएस लाइसेंसकी शर्तें आपकी अनुपालन के लिए संलग्न है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(सुमित कुमार)
वैज्ञानिक डी एवं प्रमुख

संलग्न यथोपरि :

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिह्न का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गयी प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।
- (2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।
- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिह्नांकन अपेक्षाएँ भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिह्न के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिह्न वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गयी है।
- (12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिह्न वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14) अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure

(Licence No. CM/L-5900106736)

Condition of Licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The license shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirement.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standards Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

GENERAL INSTRUCTIONS ON SIZES OF ISI MONOGRAM TO BE USED BY LICENSEE UNDER BIS CERTIFICATION MARKS SCHEME

Refer to the Standard Mark indicated in your licence. Regarding size, please note that:

- Photographic reduction in any size of Figure 1 is permissible; and
- Preferred dimensions as given in Table 1 be used as far as possible.




FIG. 1

TABLE 1 PREFERRED DIMENSIONS OF ISI MONOGRAM
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm